न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 16/2019 **(RCMS No. 2019/00040)**

वादी

1. मांगीलाल पुत्र गीदादास जाति स्वामी उम्र 55 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. घीसूसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत
2. तनसुखलाल पुत्र हीरालाल जाति जांगिड़
3. रामकंवर पत्नी घीसूसिंह जाति राजपूत निवासीयान चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
4. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा मारोठ तहसील नावां
5. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा कुचामनसिटी
6. उप पंजीयक कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय दिनांक- 18.8.2021

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 22.11.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2021/577 दिंनाक 25.03.2021 के द्वारा भिजवाई गई, बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.09.06 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

वाद वादी डिक्री कर घोषणा कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 7.10 हैक्टर में घीसूसिंह पुत्र सांवतसिंह 1/2 राम कंवर पत्नी घीसूसिंह जाति राजपूत 1/2 रकबा 0.80 हैक्टर " ए " स्थान, मांगीलाल पुत्र गीदादास हिस्सा जाति स्वामी सा. देह रकबा 4.22 हैक्टर " बी " स्थान, तनसुखलाल पुत्र हीरालाल जाति जांगिड़ 2.08 हैक्टर " सी" स्थान, पर तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत पी.डी. रिपोर्ट अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा संबंधित खातेदारी की संबंधित बैंक की भूमि रहन दर्ज रखी जावे, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 18/8/2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.09.06 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (R.A.S.)**

राजस्व वाद संख्या :– 16 / 2019 **(RCMS No. 2019/00040)**

वादी

1. मांगीलाल पुत्र गीदादास जाति स्वामी उम्र 55 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. घीसूसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत
2. तनसुखलाल पुत्र हीरालाल जाति जांगिड़
3. रामकंवर पत्नी घीसूसिंह जाति राजपूत निवासीयान चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
4. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा मारोठ तहसील नावां
5. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा कुचामनसिटी
6. उप पंजीयक कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53,188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी डिक्री कर घोषणा कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 7.10 हैक्टर में घीसूसिंह पुत्र सांवतसिंह 1/2 राम कंवर पत्नी घीसूसिंह जाति राजपूत 1/2 रकबा 0.80 हैक्टर " ए " स्थान, मांगीलाल पुत्र गीदादास हिस्सा जाति स्वामी सा. देह रकबा 4.22 हैक्टर " बी " स्थान, तनसुखलाल पुत्र हीरालाल जाति जांगिड़ 2.08 हैक्टर " सी" स्थान, पर तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत पी.डी. रिपोर्ट अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा संबंधित खातेदारी की संबंधित बैंक की भूमि रहन दर्ज रखी जावे, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 8 सन् 2021 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत......

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]नामा		
महन्ताना वकिल			खर्चा[illegible]		
खर्चा गवाहन			[illegible]र		
फिस कमिश्नर			बबत [illegible]राय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.09.06 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक /भू.अ./2021/577 दिनांक –25.03.2021

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व वाद सं. 16/2019 मांगीलाल बनाम घीसूसिंह वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत् ।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक राजस्व/2019/224 दिनांक 25.11.2019

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2019 मांगीलाल बनाम घीसूसिंह वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू अभिलेख निरीक्षक चितावा व पटवारी हल्का चितावा के द्वारा तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

25.3.21

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.09.06 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested

बंटवारा स्कीम मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 21/7/20 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक /राजस्व/2019/224 दिनांक 25-11-19 राजस्व वाद स. 16/2019 मांगीलाल बनाम घीसू सिंह वगैरह में पारित प्रारम्भिक डिक्री आदेश की पालना व कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक (भू.अ.) 640 दिनांक 07/07/2020 की पालना में ग्राम न्यौला के ख.न. 189 रकबा 7.10 है० भूमि पर पहुंचा उक्त भूमि घीसू सिंह पुत्र सावंत सिंह हिस्सा 4/71 जाति राजपूत तन सुख लाल पुत्र हीरालाल हिस्सा - 104/355 जाति जांगिड़ रहन SBI कुचामन सिटी, मांगीलाल पुत्र गीगादास हि. 211/355 जाति स्वामी सा. देह खातेदार रामकंवर पत्नि घीसू सिंह हिस्सा 4/71 जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके का नजरी नक्शा - निम्न प्रकार है :—

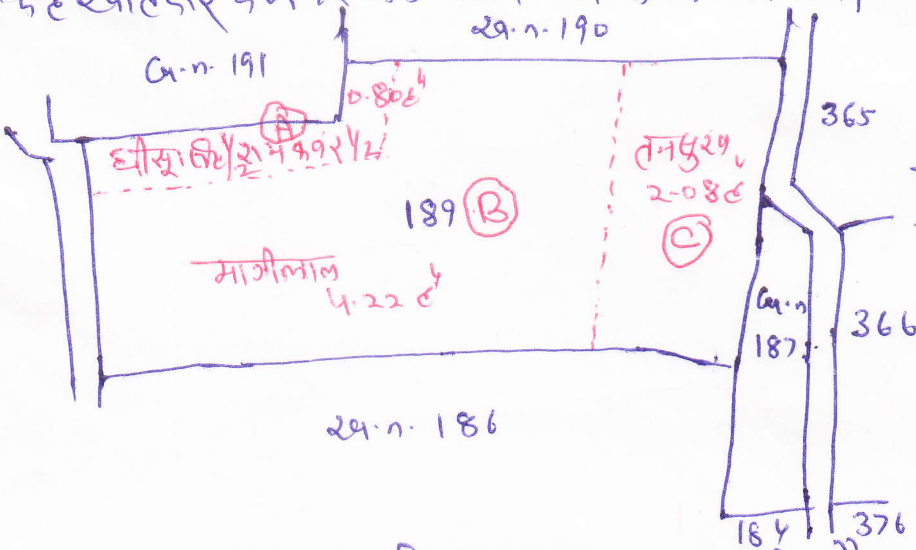

मौके पर सभी पक्षकारों के कराजी रास्ता लगता है।

मौके पर रुबरु पक्षकारान के निम्नानुसार बंटवारा स्कीम है :

	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	मालियत
(1) घीसू सिंह S/o सांवत सिंह 1/2 रामकंवर पत्नि घीसू सिंह 1/2 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	189	0-80	जाव-2 0.80	10.4	- A स्थान पर
(2) मांगीलाल पुत्र गीगादास जाति स्वामी सा. देह खातेदार	189	4.22	चाही-2 2.66 जाव-2 1.56	69.16 20.28 89.44	B स्थान पर
(3) तन सुखलाल पुत्र हीरालाल जाति जांगिड़ सा. देह खातेदार रहन स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी	189	2.08	चाही-2 1.50 जाव-2 0-58	39.00 7.54 46.54	C स्थान पर

मौके पर उपस्थित सभी खातेदारों द्वारा मौके पर अलग-अलग कब्जा होने, सहमति होने से पक्षकारों के सामने बंटवारा स्कीम की कार्यवाही की जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर कराए गए।

पटवारी
21/7/20

तनसुख लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.09.06 15:52:42 IST
Reason: SelfAttested